यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड, लो0नि0वि0, चिन्यालीसौड** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड, लो0नि0वि0, चिन्यालीसौड** के माह 11/2019 से 11/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन श्री संजीव कुमार, श्री राजेश डोभाल, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों एवं श्री सुनील कुमार मीणा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी(त0) द्वारा दिनांक-09.12.2020 से 18.12.2020 तक श्रीए0के0जैन, व0लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालीन पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1.परिचयात्मकः-इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री अक्षय कुमार, श्री भारत सिंह, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों एवं श्री शरद चौधरी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (तदर्थ) द्वारा दिनांक 18.11.2019 से 28.11.2019 तक श्री रणवीर सिंह चौहान, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया। जिसमें माह 11/2018 से 10/2019 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 11/2019 से 11/2020 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2 (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः-कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग,चिन्यालीसौड के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत विकास खंड चिन्यालीसौड के अंतर्गत आने वाले मोटर मार्गो एवं पुल के निर्माण एवं अनुरक्षण के कार्य किए जाते हैं।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों मे बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैं।

(₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (+)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2017-18	-	-	659.83	639.88	3140.46	2975.52	-	164.94
2018-19	-	-	666.81	619.66	2258.67	2239.88	-	18.79
2019-20	-	-	40.85	38.70	1859.98	1398.35	-	466.63
2020-21 (11/2020 तक)	-	-	39.68	21.94	1052.21	552.86	-	499.35

(ब) केंद्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैं।

(₹ लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	आधिक्य	बचत
2017-18	-	--	-	-	-	-
2018-19	-	-	-	-	-	-
2019-20 (01/2020 तक)	-	-	-	-	-	-

(iii) इकाई को बजट आवंटन उत्तराखंड शासन द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित करते हुए इकाई **"बी"** श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:-

1. प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण, उत्तराखंड शासन
2. प्रमुख अभियंता/विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखंड
3. मुख्य अभियंता, लो0नि0वि0
4. अधीक्षण अभियंता, लो0नि0वि0
5. अधिशासी अभियंता, लो0नि0वि0

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में कार्यालय अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड, लो0नि0वि0, चिन्यालीसौड को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियो के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड, लो0नि0वि0, चिन्यालीसौड की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। 03/2020 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।सिल्कयारा बनगाँव चापड़ सरोढ मोटर मार्ग का नवीनीकरण (किमी0 52 से 61) के कार्य को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा **13**, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2020 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

3. अधीक्षण अभियंता द्वारा विगत लेखापरीक्षा से अब तक दिनांक 21.07.2020 से 25.07.20 को निरीक्षण किया गया।

4. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी क्रमशः माह 09/2019 तथा 09/2019 तक की गई।

5. फार्म-51: माह 08/2019 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत् हैः-

भाग प्रथम : ₹(-)1439234.00

भाग द्वितीय : ₹1061385.00

6. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह11/2020 के अन्त में

(क) प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम :₹ 6398829.00

(ख) सामग्री क्रय :शून्य -

(ग) नगद परिशोधन :शून्य

(घ) निक्षेप : ₹ 25391008.00

(ङ) भण्डार : ₹ 2091910.65

भाग-II (अ)

प्रस्तर 01:- विविध अग्रिमों धनराशि ₹ 66.85 लाख की वसूली लम्बित रहना।

वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड 6 के नियम 578 के अनुसार विविध अग्रिम को निम्न चार श्रेणियों मे विभाजित किया गया है (1) उधार विक्रय (2) डिपॉजिट मद मे प्राप्त राशि से अधिक व्यय (3) हानि , त्रुटि के कारण हानि,आदि (4) अन्य मद मे ,किसी भी प्रकार से शासकीय हानि , इन सभी प्रकरणो मे अधिकारियों /कर्मचारियो /फर्मो/ठेकेदारो /अन्य विभागो के विरुद्ध विविध अग्रिम डाला जाता है एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड 6 के नियम 584 के अनुसार इन सभी मदो मे विविध अग्रिम की धनराशि की वास्तविक वसूली की जानी चाहिए या किसी कारण से वसूली न हो पाने की दशा मे सक्षम अधिकारी के आदेश से जब तक बट्टे खाते मे न डाला जाए तब तक विविध अग्रिम लेखे से न हटाया जाए।

कार्यालय के विविध अग्रिम पंजिका के अवलोकन मे देखा गया कि कार्यालय द्वारा माह 11/2020 तक कुल ₹ 66.85 लाख का विविध अग्रिम दिया गया। (संलग्नक-I)

उक्त के संबंध मे इंगित किए जाने पर खंड द्वारा अवगत कराया गया कि खंड के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों से प्रकीर्ण अग्रिम की वसूली हेतु उन्हे बार बार स्मरण पत्र लिखे जा रहे हैं तथा शीघ्र ही प्रकीर्ण अग्रिम की वसूली कर दी जायेगी। कुछ ठेकेदारों के देयक खंड मे प्राप्त हैं जिससे उनके प्रकीर्ण अग्रिम की कटौती की जायेगी। सभी कंपनियों/विभागों से धनराशि समायोजन हेतु निरंतर पत्राचार किया जा रहा हैं। शीघ्र धनराशि का समायोजन किया जायेगा। खंड का उत्तर मान्य नही हैं क्योकि दिया गया विविध अग्रिम कई वर्षों पुराना हैं जिसे खंड द्वारा वसूला जाना चाहिये था।

अत: विविध अग्रिमों धनराशि ₹ 66.85 लाख की वसूली लम्बित रहने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता हैं।

संलग्नक-1

क्रम स0	नाम	कुल धनराशि (₹में)	कब से
1	अधिशासी अभियंता, रा0राजमार्ग खंड, बडकोट	7456	03/06
2	अरुण कुमार गोयल, अधि0अभि0	13804	12/09
3	रमेश चन्द्र रमोला	967	12/09
4	सतवीर सिंह, कनि0अभि0	398888	05/99
5	भागीरथी फिलिंग स्टेशन, चिन्यालीसौड	778286	09/16
6	जयवीर सिंह एंड संस	1773603 1749365	03/11
7	दिवाकर प्रसाद जगुड़ी	1227	09/11
8	अमित चौहान, कनि0अभि0	20000	03/17
9	भीष्म सिंह महंत	13890 20362	03/12
10	मै0 पारस कन्स्ट्रकशन	12488	03/12
11	मै0जयगोपाल एसोशिएशन	3150	03/12
12	इन्द्रसिंह पँवार	434600	06/12
13	कौरासिंह रावत, ठेकेदार	11125	11/13
14	हिंदुस्तान कोल्स लि0	552610	03/14
15	दिनेश प्रसाद मेट	2400	03/16
16	मै0हिंदुस्तान पेट्रोलियम लि0	549325	03/19
17	कुलदीप सिंह राणा	193898	03/19
18	श्रीचंद रमोला ठेकेदार	37000 30000	12/17
19	अनूप लाल खंडुरी, कनि0 अभि0	2500	10/19
20	आर0के0यादव, सहा0अभि0	47670	03/20
21	ओमप्रकाश चौहान, सहा0अभि0	24500	03/20
22	योगेश प्रताप सिंह	6500	10/20
	कुल	**6685614**	

भाग-II (ब)

प्रस्तर 01:- प्रतिभूति धनराशि (Security Deposit) की प्रत्याहरण (Refund) के संबंध मे।

वित्तीय वर्ष 2014-15 से पूर्व सामान्य ठेकेदार से प्राप्त प्रतिभूति धनराशि कोषागार मे जमा होती थी तथा कार्य की समाप्ति पर ठेकेदार को वापस कर दी जाती हैं। माह जुलाई 2014 से ठेकेदारो के देयकों का भुगतान कोषागार के माध्यम से ऑन लाइन किया गया। ऑन लाइन भुगतान मे ठेकेदार के देयक से कटौती की जा रही प्रतिभूति धनराशि भी सीधे ई-चेक के माध्यम से कोषागार मे जमा हो रही हैं।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड, लो0नि0वि0, चिन्यालीसौड की लेखा अभिलेखों की जांच मे पाया गया हैं कि वर्ष 2014-15 से पूर्व अर्थात ऑनलाइन पेमेंट प्रक्रिया से पूर्व ठेकेदारों से काटी गयी धरोहर धनराशि को वर्ष 2019-20 तक ₹ 39.01 लाख (उनतालीस लाख एक हजार रुपये मात्र) का ठेकेदारो को भुगतान किया जाना शेष हैं पंजिका का अद्यतन नही किया जा रहा हैं जिससे यह मालूम चले कि उक्त धनराशि किन किन ठेकेदारों की हैं। वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-VI के पैरा-622 के अनुसार तीन वर्ष से अधिक अदावेकृत धनराशि को राज्य/केंद्र के राजस्व मे जमा कर दिया जाना चाहिए।

उक्त के संबंध मे पूछे जाने पर खंड द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त धनराशि 2013 से पूर्व ऑन लाइन भुगतान सिस्टम मे किए गए भुगतान के सापेक्ष अवशेष हैं। वर्ष 2014 से ऑन लाइन प्रक्रिया प्रारम्भ होने के कारण अभी तक पुराने प्रकरण भुगतान हेतु कोई प्रक्रिया स्पष्ट नहीं की गई हैं। शासन स्तर पर प्रकरण लम्बित हैं जिस कारण उक्त कार्यवाही नही की गई हैं। ठेकेदार द्वारा उक्त जमा धनराशि वापस करने की मौखिक मांग की जा रही हैं। वर्तमान मे इस अवशेष भुगतान हेतु दिशा निर्देश प्राप्त होने पर तदनुसार भुगतान किया जायेगा। खंड के उत्तर से स्वत: ही लेखा परीक्षा आपति की पुष्टि होती हैं कि खंड द्वारा वर्ष 2014 से पूर्व की प्रतिभूति धनराशि ठेकेदारों को वापस नही की हैं।

अत: कई वर्षों से ठेकेदारों के प्रतिभूति धनराशि ₹ 39.01 लाख का प्रत्याहरण नही किए जाने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता हैं।

भाग-II (ब)

प्रस्तर 02: ठेकेदार पर ₹ 7.97 लाख का अर्थदण्ड न लगाया जाना ।

सिलक्यारा-बनगांव-चापड़ा-सरोठ मोटर मार्ग के किमी. 52 से 61 तक पी.सी. द्वारा सुधारीकरण/नवीनीकरण कार्य करने हेतु ₹132.61 लाख की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी (फरवरी/2020)। कार्य की तकनीकी स्वीकृति अधीक्षण अभियन्ता, छठा वृत्त, लो.नि.वि., उत्तरकाशी द्वारा समान धनराशि की प्रदान की गयी थी (मार्च/2020)। कार्य हेतु एक अनुबन्ध 14 एस.ई./06/18-19, दिनांक 09.03.2019 द्वारा गठित किया गया था, जिसके अनुसार कार्य प्रारम्भ एवं समाप्ति की तिथि क्रमशः 09.03.2019 तथा 08.09.2019 थी। कार्य पर अन्तिम देयक के अनुसार ₹105.51 लाख व्यय किया जा चुका था। अन्तिम देयक के अनुसार जून/2019 को समाप्त हो चुका था। कार्य की Defect Liability Period 02 वर्ष का था।

उत्तराखण्ड शासनादेश संख्या 1578/VII-I/158- ख/04 टी0सी0-I। दिनांक 30 सितम्बर 2016 के अनुसार खनिजों के विधिपूर्ण अभिवहन/परिवहन हेतु e-form "MM-11" तथा e-form –"J" का निर्धारण किया गया है। आगे, **उत्तराखण्ड अवैध खनन परिवहन का भण्डारण का निवारण, 2005 (समय समय पर यथसंशोधित) के नियम 13(2)(ख) के अनुसार अवैध भण्डारणकर्ता/अवैध परिवहनकर्ता/अवैध खननकर्ता से अर्थदण्ड की धनराशि रू0 2,00,000/- तक एवं खनिज की मात्रा का विक्रय मूल्य रायल्टी का 05 गुना तक आंगणित कर वसूली की जायेगी।**

अभिलेखों की जांच में यह पाया गया कि कार्य के दौरान प्रयोग की गयी खनन सामग्री, जिसका स्त्रोत अभिलेखों से स्पष्ट नही था कि ठेकेदार यह खनन सामग्री किस स्थान से लाया था तथा फॉर्म J एवं MM-11 में नही दिया गया था। बिना फॉर्म J एवं बिना MM-11 के खनन सामग्री का परिवहन अवैध है अतः खनन विभाग के उक्त शासनादेशों के आलोक में रायल्टी कटौती की राशि ₹ 159587/- का पांच गुना (159587 x 5=797939/-) अर्थदंड ₹ 7.97 लाख ठेकेदार पर लगाया जाना चाहिए था जो कि नही लगाया गया था।

प्रकरण इंगित किये जाने पर खण्ड द्वारा उत्तर में बताया गया कि उक्त 5 गुना अन्य मामलो में अर्थदंड लगाया जा रहा है व ठेकेदार द्वारा स्वयं के भण्डारण से सामग्री का प्रयोग किया गया। खंड का उत्तर मान्य नहीं है उक्त शासनादेश के आलोक में इस मामले में भी अर्थदंड लगाया जाना चाहिए था।

प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-II (ब)

प्रस्तर -3 : ₹16.97 लाख का अर्थदण्ड की वसूली न किया जाना ।

Clause no.4.5 of GCC of New G.P.W.9(Revised) provides that if the whole work up to the forth milestone is not completed within the scheduled or rescheduled time, all the withheld amount of 10% shall be recovered from the contractor from any money due to by the Government under this contract or any other account want so ever. Otherwise the same will be recoverable as an arrear of land revenue through collector.

कार्यालय अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड,लोक निर्माण विभाग, चिन्यालीसौड के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि राज्य योजना के अंतर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र यमुनोत्री के विकास खंड चिन्याली सौड के अंतर्गत कोटधार-मुरोगी मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु शासनादेश सं0 2199/III(2)/16-19(प्रा0आ0)/2016 दिनांक 25.07.16 द्वारा स्वीकृत लंबाई 6.750 किमी0 लागत ₹ 497.32 लाख की प्राप्त थी। अधीक्षण अभियंता 6वां वृत्त लो0नि0वि0 उत्तरकाशी के पत्र संख्या 5511-याता/610सी0-6/2016-17 दिनांक 22.12.2016 द्वारा प्राप्त कराये गए आगणन पर उनकी संस्तुति के आधार पर उक्त कार्य हेतु स्वीकृत लागत ₹ 497.32 लाख की प्राविधिक स्वीकृति प्रभारी मुख्य अभियंता (टि0क्षे0), लोक निर्माण विभाग, नई टिहरी के पत्रांक-9493/16(6) चिन्यालीसौड (टी0एस0)-टिहरी/16 दिनांक 26/12/2016 द्वारा प्रदान की गयी थी।

उपरोक्त कार्य हेतु 14 अनुबंध गठित किये गए थे जिनमे से निम्न 09 अनुबंध समय से पूर्ण नहीं किये जाने के कारण 0.25%/0.20 प्रतिशत/1प्रतिशत अर्थदण्ड सहित समय विस्तार दिया गया था तत्पश्चात ठेकेदारों द्वारा उक्त समय विस्तार के अंदर कार्य पूर्ण किया गया तथा 02 अनुबंध नियत तिथि के पश्चात आतिथि तक पूर्ण नहीं हुए न ही ठेकेदार पर अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया:-

S° No°	Contract Bond No.	Date of Start	Date of Completion as per Bond	Actual date of Completion	Amount of Bond (₹in lakh)	Penalty @10% of the contract value as per CB terms and Conditions(₹in lakh)	Penalty imposed (@0.25%/0.20%/1 %) (₹in lakh)	Difference penalty amount to be recovered(₹in lakh)
1.	01/EE	5.4.17	4.1.18	3.3.18	16.63	1.67	.04	1.63
2.	17/EE	5.4.17	4.1.18	1.3.18	14.84	1.48	.01	1.47
3	18/EE	5.4.17	4.1.18	1.3.18	22.42	2.24	.056	2.14
4.	19/EE	5.4.17	4.1.18	1.3.18	18.94	1.89	.047	1.84
5.	20/EE	5.4.17	4.1.18	4.4.18	13.13	1.31	.026	1.28
6.	25/EE	6.4.17	5.1.18	2.11.18	12.97	1.30	.032	1.27
7.	24/EE	6.4.17	5.1.18	24.2.18	12.37	1.24	.031	1.21
8.	26/EE	6.4.17	5.1.18	1.3.18	14.05	1.41	.035	1.38
9.	35/EE	6.4.17	5.1.18	31.3.18	20.81	2.08	.011	2.07
10	33/EE	6.4.17	5.1.18	Work in progress	10.71	1.07	0.000	1.07
11	42/EE	12.6.17	11.3.18	Work in progress	16.08	1.61	0.000	1.61
	Total penalty to be recovered							**16.97**

समय से पूर्ण नहीं किये गये अनुबंध को 0.25%/0.20 प्रतिशत/1प्रतिशत अर्थदण्ड के साथ समय वृद्धि दी गयी जो अनुबंध के शर्तों के अधीन लागू G°P°W°9 के Clause 4 के विपरीत है जिसमे ये प्रावधान है कि 4th milestone के नियत तिथि के पश्चात कार्य पूर्ण किये जाने की स्थिति में अनुबंध मूल्य का 10% अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाना चाहिये।अतः उपरोक्त टेबल में आगणित अंतरीय अर्थदण्ड धनराशि ₹16.97 लाख की बकाया वसूली ठेकेदार से की जानी चाहिये।

उपरोक्त Table के Sl° No°10 एवं 11 में दिये गए अनुबंध के विवरण के अनुसार कार्य के पूर्ण करने की नियत तिथि के लगभग 33 माह बीत जाने के पश्चात भी कार्य पूर्ण नहीं हुआ न ही ठेकेदार पर G°P°W°9 के Clause 4 के अंतर्गत अनुबंध मूल्य के 10% अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। .

जबकि ठेकेदार के साथ विभाग/खण्ड के बीच Clause no.4.5 of GCC of New G.P.W.9 (Revised) की उप वर्णित शर्तों के अनुसार अर्थ दण्ड का प्रावधान लागू होता है जिसके अनुसार अनुबन्ध लागत का 10 प्रतिशत की दर से अर्थदंड अधिरोपित किया जाना चाहिए, इसमें किसी भी प्रकार का Discretionary Power (विवेकाधीन शक्तिया) का प्रावधान नहीं है।

अतः अनुबन्ध लागत के 10 प्रतिशत की दर से अर्थदण्ड के स्थान पर मात्र 0.25 प्रतिशत/0.20 प्रतिशत/ 1प्रतिशत की दर से अर्थ दण्ड अधिरोपित एवं वसूली किया जाना अनुबन्धों की शर्तो के विपरीत है, इस प्रकार अर्थदण्ड की अंतरीय धनराशि ₹16.97 लाख की वसूली की जानी चाहिए।

प्रकरण को इंगित किये जाने पर खंड ने उत्तर में बताया कि क्र0सं0 1 से 9 तक अनुबंधों में अतिरिक्त कार्य आदि के कारण अतिरिक्त समय लगा तथा आबादी भाग में Utility Safty रास्ते आदि वैकल्पिक बन जाने के बाद भी कार्य करने दिया गया जिसके कारण अतिरिक्त समय लगा ठेकेदार द्वारा अकारण देरी नहीं लगी है। कास्तकारों का मुआवजे का भुगतान राज्य योजना के मांग अनुसार आवंटन न होने के कारण मुवावजा वितरण लंबित था जिसके कारण कार्य में व्यवधान होने के साथ साथ इसके अतिरिक्त कार्य भी वर्तमान में दोनों कार्य पूर्ण किये जा चुके है।

खंड के उत्तर से स्पष्ट है कि अनुबंध की शर्तो के अधीन लागू नियमावली जी.पी.डबल्यू. 9 (Revised) में 0.25 प्रतिशत/0.20 प्रतिशत/1प्रतिशत की दर से अर्थदण्ड का कोई प्रावधान नहीं है न ही कोई इस दर से अर्थदण्ड अधिरोपित करने का कोई विवेकाधीन प्रावधान है।

साथ ही खण्ड का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अन्य कारण जैसे वर्षाकाल, सर्दी नियमित बाधा है जिसे विचार करते हुए ही कार्य को पूर्ण करने की समयावृद्धि दी गई थी, यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त कार्य में गठित एक अन्य अनुबंध संख्या 27/EE दिनांक 06/04/2017, अनुबंध लागत ₹ 16.17 लाख, कार्य प्रारम्भ की तिथि 06/04/17, तथा कार्य पूर्ण होने की तिथि 05/01/18 थी, जबकि कार्य पूर्ण करने की वास्तविक तिथि 21/03/18 थी तथा जिसे कास्तकारों को भुगतान न मिलने के कारण कास्तकारों द्वारा कार्य नहीं करने दिया गया, के आधार पर बिना अर्थदण्ड के उक्त समयविस्तार स्वीकृत किया गया था,जो इंगित करता है कि यदि ठेकेदार के कारण कार्य में देरी नहीं होती है तो नियत समय से देरी से भी कार्य पूर्ण किए जाने पर कोई अर्थदण्ड अधिरोपित नहीं किया जा सकता है।। साथ ही उपरोक्त दिये गए Table के क्र0सं0 10 एवं 11 में दिये गए दोनों अनुबंध 33 माह बीत जाने के पश्चात भी लेखापरीक्षा तिथि तक(नवंबर 2020) कार्य पूर्ण नहीं हुआ साथ ही न ही अनुबंध के विरुद्ध कोई समयवृद्धि दी गयी न ही अनुबंध की शर्तों के अनुसार लागू GPW9 नियम के अंतर्गत अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। ज्ञात हो उपरोक्त कार्य हेतु अन्य दो गठित अनुबंध 44/EE दिनांक 12/06/17 एवं 46/EE दिनांक 12/06/17 का कार्य अनुबंध के अनुसार कार्य पूर्ण करने की नियत तिथि के अंदर पूर्ण कर लिया गया था।

साथ ही, गठित अनुबंध के अन्तर्गत विभाग एवं ठेकेदार के मध्य किए गये करार के अनुसार लागू Clause no.4.5 of GCC of New G.P.W.9(Revised) में 0.25 प्रतिशत/0.20 प्रतिशत/1प्रतिशत का अर्थदण्ड का कोई प्रावधान नहीं है, अतः उपरोक्त नियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाना था, जिसके अनुसार अनुबन्ध लागत का 10 प्रतिशत दर से अर्थदण्ड अधिरोपण एवं उसकी धनराशि वसूल की जानी थी। इस प्रकार उपरोक्त टेबल में दर्शाये गए आगणित अंतरीय धनराशि ₹16.97 लाख की अर्थदण्ड की वसूली की जानी है।

अतः ₹16.97 लाख का अर्थ दण्ड की वसूली का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-।।।

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

क्रम सं0	निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-।। 'अ' प्रस्तर संख्या.	भाग-।। 'ब' प्रस्तर संख्या
1	66/2010-11	1,2,3,4,5	-
2	09/2012-13	01 -	-
3	113/2015-16	-	1,2,3,4
4	12/2017-18	-	1,2,3,4,5,6
5	70//2018-19	-	1,2,3,4
6	84/2019-20	-	1,3,4

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालनआख्या इकाई द्वारा उपलब्ध नहीं करायी गयी।				

भाग-।V

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

--- शून्य ---

भाग – V
आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग, चिन्यालीसौड** के उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये: शून्य

2. सतत् अनियमितताएं :- शून्य

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया:-

क्रं.सं.	नाम	पदनाम	अवधि
01.	श्री सुरेश तोमर	अधिशासी अभियंता	विगत लेखापरीक्षा से अब तक

4. **विगत सम्प्रेक्षा से अब तक निम्नलिखित खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड से संबंद्ध रहे।**

क्रं.सं.	नाम	पदनाम	अवधि
01.	श्री आवेश	लेखाधिकारी	विगत लेखापरीक्षा से अब तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय **अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, चिन्यालीसौड़, उत्तरकाशी** को इस आशय से प्रेषित की गई है कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार, ए.एम.जी.-II (Non-PSU), कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून-2481095 को प्रेषित किया जाए।

व. लेखापरीक्षा अधिकारी
एएमजी-II (Non-PSU)